न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 74/2022/अपील/एलआरएक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 23.3.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

1. दुर्गालाल पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल जाति धाकड
2. राधेश्याम पुत्र स्व0 मांगीलाल जाति धाकड
3. सालिगराम पुत्र स्व0 मांगीलाल जाति धाकड
4. रामकंवरी बाई पत्नि स्व0 मांगीलाल जाति धाकड
   निवासीगण ग्राम गुडला तहसील केशवरायपाटन जिला बूंदी–राज0।
5. बद्रीबाई पत्नी रामेश्वर पुत्री स्व0 मांगीलाल जाति धाकड निवासी श्रीपुरा तहसील के0पाटन जिला बूंदी।
6. कौशल्या बाई पत्नि रामप्रसाद पुत्री स्व0 मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम सीतापुरा तह0तालेडा जिला बूंदी–राज0।

...अपीलार्थीगण

बनाम

1. जानकीलाल पुत्र स्व0 मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम गुडला तहसील के0 पाटन जिला बूंदी एंव द्वितीय पता हनुमान मंदिर के पास दादाबाडी कोटा–राज0।
2. तहसीलदार तालेडा जिला बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री अशोक कुमार गुप्ता अभिभाषक–अपीलार्थीगण
श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक–रेस्पो0 कम–1

::निर्णय::

दिनांक 6.6.2024.

अपीलार्थीगण ने न्यायालय तहसीलदार भू अभिलेख तालेडा जिला बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 145/2020 प्रार्थना पत्र विरासत का नामा0 बावत द्वारा जानकीलाल आ0 मांगीलाल जाति धाकड अन्तर्गत धारा 135 (2) एलआरएक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 24.2.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि जानकीलाल आ0 मांगीलाल धाकड निवासी गुडला तह0 के0 पाटन ने प्रार्थना पत्र के साथ अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा ,वसीयतकर्ता मांगीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र एव राजस्व रिकार्ड की नकल संलग्न कर मांगीलाल के खाते ग्राम सेदडी स्थित खसरा सं0 442 रकबा 0.3804 है0 भूमि वसीयत के आधार पर उसके नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार तालेडा जिला बूंदी के यहां पेश किया गया। जिसकी बाद जांच उक्त भूमि का नामान्तरकरण जानकीलाल आ0 मांगीलाल धाकड निवासी गुडला तह0 के0 पाटन के पक्ष मे दर्ज करने का दिनांक 24.2.2022 को निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स दुर्गालाल वगेरा द्वारा प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा

अति. सं. आयुक्त
कोटा

75 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर वर्णित किया कि उक्त भूमि पुश्तैनी सम्पत्ति है तथा अपीलांट के पूर्वजो के नाम थी जो उनकी मृत्यु उपरांत मांगीलाल पुत्र भवानीशंकर के नाम दर्ज हुई। भवानीशंकर के जीवनकाल मे अपीलांट का जन्म हो चुका था तथा उपरोक्त सम्पत्ति मे अपीलांट्स का हिस्सा निहित चला आ रहा था मांगीलाल की मृत्यु उपरांत अपीलांट्स ने विरासत मे इंतकाल खुलवाने बावत आवेदन तहसीलदार तालेडा को प्रेषित किया साथ ही वसीयत के आधार अपने पक्ष मे नामा0 खुलवाने हेतु आवेदन पत्र रेस्पो0 कम–1 ने भी पेश किया। तह0 तालेडा ने रेसपो0 कम–1 को सुनकर अपनी स्वेच्छिक सेवानिवृति से कुछ दिनों पूर्व तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 2.12.2012 के आधार पर रेस्पो0 कम–1 का प्रार्थना पत्र सवीकार करते हुये जानकीलाल के नाम नामा0 दर्ज करने का 24.2.2022 को निर्णय पारित कर दिया जबकि अपीलांट के आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनी सिद्धान्तो के विपरीत है क्योकि वसीयतनामा अपंजीकृत है। गवाह रामकंवरीबाई के वसीयतनामा पर कोई हस्ताक्षर अथवा अगूँठा निशानी नही है। रामकंवरी ने तहसीलदार के समक्ष अपनी साक्ष्य देकर वसीयतनामा की ताईद की है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानो के तहत वसीयत को तब तक प्रमाणित नही माना जा सकता जब तक उसके दो मोतबिर गवाहन न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वसीयत को प्रमाणित नही करे। इय प्रकरण मे वसीयत को दो मोतबिर गवाह ने प्रमाणित नही की है। मौखित एंव दस्तावेजी साक्ष्य से भूमि पुश्तैनी होना प्रमाणित है। पुश्तैनी भूमि मे जन्म से ही सभी वारिसान का अधिकार निहित हो जाता है। ऐसी स्थिति मे पुश्तेनी भूमि की वसीयत आलेखित नही की जा सकती।उक्त प्रकरण मे अपीलांट्स के अधिवक्ता ने उपस्थिति दी थी लेकिन उनकी उपस्थिति के संबध मे अथवा एक तरफा कार्यवाही के संबध मे निर्णय मे कोई उल्लेख नही किया और ना ही कोई फाईडिंग दी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट रामकंवरी, बद्रीबाई व अन्य को जो नोटिस जारी किये उन्हे व्यक्तिगत यप से प्राप्त नही हुये इस कारण उन्हे सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ। रेस्पो0 कम 1 को लाभ पहुचाने की गरज से आनन फानन मे जेरअपील निर्णय पारित किया जो काबिल निरस्तनीय है। रेस्पो0 कम–1 ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 29.5.2019 मे मांगीलाल के पक्ष मे बटवारा होने का कथन किया है तथा तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 2.12.12 पेश किया है उसमे कोई बटवारा हुआ हो उल्लेख नही हैइस प्रकार स्पष्ट है कि दोनो परस्पर विरोधाभास है तथा ऐसे फर्जी वसीयतनामा के आधार पर तहसीदार द्वारा निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय । निर्णय 24.2.22 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि वसीयत पर गवाहान के हस्ताक्षर नही है। वादग्रस्त भूमि पुश्तेनी भूमि है। वसीयत मे बटवारे का उल्लेख नही है। केवल मात्र एक तरफा साक्ष्य सबूत लेकर निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से सपष्ठ है कि सम्पूर्ण तारीख पेशीयो पर गवाह अनुपस्थित रहे है उनके बयान नही है। आनन फानन मे अपनी सेवानिवृति से कुछ दिन पूर्व तहसीलदार तालेडा ने गवाह के एक तरफा बयान/शपथ पत्र लेकर निर्णय पारित कर दिया जबकि अपीलांट द्वारा विरासत का नामा0 खोलने बावत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबध मे कोई निर्णय मे उल्लेख नही किया ना ही कोई फाईडिंग ही अपनी दी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम–1 ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होना जाहिर करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पुश्तेनी होने के संबध मे कोई साक्ष्य सबूत नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 27.1.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण की ओर से उसके अभिभाषक प्रकरण मे उपस्थित हुये है। राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 एंव 40 के अनुसार खातेदार आसामी अपने भूमि–क्षेत्र मे अपने हित को या हितांश को उस व्यक्तिगत कानून के अनुसार जिसके कि वह अधीन है, अन्तिमेच्छा–पत्र के द्वारा वसीयत मे दे सकता है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अपीलार्थीगण को ऐसी वसीयत से किसी प्राकार की आपत्ति

सं. आयुक्त

है तो वह उसको सिविल न्यायालय मे चुनोती देने के लिये स्वतंत्र है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के संदर्भ मे आरआरटी 2018 (1)पेज 848, आरआरडी 1993 पेज 615, डीएनजे (3) एस.सी. पेज 826, सीपीसी आर्डर 18 रूल 4 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन कर प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम–1 द्वारा प्रस्तुत न्याायिक उद्धरण आरआरटी 2018 (1)पेज 848, आरआरडी 1993 पेज 615, डीएनजे (3) एस.सी. पेज 826, सीपीसी आर्डर 18 रूल 4 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार भू अभिलेख तालेडा द्वारा ग्राम सेदडी स्थित आराजी खसरा नम्बर 442 रकबा 03804 है0 भूमि पर खातेदार मांगीलाल आ0 भवानीशंकर कौम धाक के स्थान पर वसीयतनामा के अनुसार जानकीलाल आ0 मांगीलाल कौम धाकड निवासी गुडला तह0 के0 पाटन के पक्ष मे नामान्तरकरण दर्ज करने का दिनांक 24.2.2022 को आक्षेपित निर्णय पारित किया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई। अपील मे अपीलार्थीगण का मुख्य तर्क है कि वसीयत पर गवाहान के हस्ताक्षर नही है। वादग्रस्त भूमि पुश्तेनी भूमि है। वसीयत मे बटवारे का उल्लेख नही है। केवल मात्र एक तरफा साक्ष्य सबूत लेकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से भी यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण तारीख पेशीयो पर गवाह अनुपस्थित रहे है उनके बयान नही है। आनन फानन मे अपनी सेवानिवृति से कुछ दिन पूर्व तहसीलदार तालेडा ने गवाह के एक तरफा बयान/शपथ पत्र लेकर निर्णय पारित कर दिया जबकि अपीलांट द्वारा विरासत का नामा0 खोलने बावत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबध मे निर्णय मे कोई उल्लेख नही किया ना ही कोई फाईडिंग ही अपनी दी गई। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे आक्षेपित निर्णय खारिज योग्य है। इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम–1 का प्रकरण मे कथन है कि वादग्रस्त भूमि पुश्तेनी होने के संबध मे कोई साक्ष्य सबूत नही है। अपीलांट की ओर से प्रकरण मे उसके अभिभाषक ने अभिभाषक पत्र पेश किया है। राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 एंव 40 के अनुसार खातेदार आसामी अपने भूमि–क्षेत्र मे अपने हित को या हितांश को उस व्यक्तिगत कानून के अनुसार जिसके कि वह अधीन है, अन्तिमेच्छा–पत्र के द्वारा वसीयत मे दे सकता है। अपीलार्थीगण को ऐसी वसीयत से किसी प्राकार की अपत्ति है तो वह उसको सिविल न्यायालय मे चुनोती देने के लिये स्वतंत्र है। अपने कथन के संदर्भ मे न्यायिक नजीर आरआरटी 2018 (1)पेज 848, आरआरडी 1993 पेज 615, डीएनजे (3) एस.सी. पेज 826, सीपीसी आर्डर 18 रूल 4 पेश की गई।

6 उभय पक्षकारो द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत उपरोक्त तर्को के आलोक मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार भू अभिलेख तालेडा ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य की जांच नही कि वादग्रस्त भूमि पुश्तेनी है अथवा स्वअर्जित तथा विधि अनुसार उक्त भूमि की वसीयत की जा सकती है अथवा नही? अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 27.1.2021 के अवलोकन से दुर्गालाल, राधेश्याम व सालिगराम की ओर से उसके अभिभाषक श्री नन्दसिंह द्वारा अभिभाषक पत्र पेश किये जाने का उल्लेख है। उसके पश्चात प्रकरण मे नियत की गई तारीखो पर उभयपक्ष अनुपस्थित रहा है। दिनांक 7.7.21 को वसीयतग्रहिता उपस्थित रहा तथा गवाह कुलवन्तसिंह व जानकीलाल द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया। उसके पश्चात नियत ता0 11.8.21 से 28.12.21 तक मुताबिक आदेशिका पक्षकार अनुपस्थित रहना अंकित कर प्रकरण मे 21.1.2022 की तारीख पेशी नियत की गई। उक्त नियत तारीख पेशी पर पत्रावली का अवलोकन कर वास्ते निर्णय 24.2.2022 की तिथी नियत की जाकर आक्षेपित आदेश पारित किया गया। उक्त विवेचित तथ्यो से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार तालेडा द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये उभय पक्षकारों को सुनवाई व जवाब देही का विधिवत अवसर प्रदान नही कर पक्षकारान की अनुपस्थिति मे आक्षेपित निर्णय पारित किया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की उक्त विवेचित आदेशिका एंव मुख्यतया आदेशिका दिनांक 21.1.2022 तथा 24.2.2022 से प्रकट होता है। आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी दुर्गालाल की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे वादग्रस्त आराजी के संबध मे विरासत का फौती नामा0 तस्दीक करने हेतु दिनांक 14.3.2020 को प्रार्थना पेश किया गया है जो अधीनसथ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ मे तहसीलदार तालेडा द्वारा कोई आदेश पारित नही किया ना ही किसी प्रकार की अपनी कोई फाईडिंग आक्षेपित निर्णय मे दी गई। ऐसी स्थिति मे आक्षेपित निर्णय

अति. सं. आयुक्त

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत तथा विधि विरूद्ध होने से न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक मे हमारे विनम्र मत अनुसार रेस्पो0 कम–1 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरटी 2018 (1)पेज 848, आरआरडी 1993 पेज 615, डीएनजे (3) एस.सी. पेज 826, सीपीसी आर्डर 18 रूल 4 हस्तगत अपील प्रकरण मे चस्पा नही होते है। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.2.2022 अपास्त किये जाने योग्य है।

7 परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार भू0 अभिलेख तालेडा जिला बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 145/2020 प्रार्थना पत्र विरासत का नामा0 बावत द्वारा जानकीलाल आ0 मांगीलाल जाति धाकड अन्तर्गत धारा 135 (2) एलआरएक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 24.2.2022 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भू अभि0 तालेडा जिला बूंदी को उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई एंव जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुये निर्णय मे विवेचित उपरोक्त तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत एंव तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित/रिमांड किया जाता है।

8 निर्णय आज दिनांक 6.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति० संभागीय आयुक्त
कोटा